

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-41/2016 (iv) परि0...../

प्रेषक,

बलराम प्रसाद
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- **M/s-Mahindra & Mahindra Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।**
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s-Mahindra & Mahindra Ltd. के द्वारा प्रस्तुत उनके उत्पाद मॉडलो के संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी द्वारा प्रदत्त अभिप्रमाणित प्रोटोटाइप जाँच प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजातों के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model	Prototype Certificate No/Date	Types of Vehicle	Ex-Showroom Price
1	MAHINDRA TOURISTER BSIII 4200- RTD NBB & its Variant	ARAI, Certificate No- AAFN 0327 E 01/20-08-2015	Medium Commercial Vehicle Passenger M3	Rs. 8,93,184/-
2	MAHINDRA TOURISTER 25CNG BSIV 26 SEATER-WBB 320 NBB & its Variant	ARAI, Certificate No- AAGA 0013 E 01/06.08.2015 AAGA 0013 F 03/ 12-06-2015	Light Commercial Vehicle Passenger M3	Rs. 12,04,455/-
3	MAHINDRA TOURISTER 25 MDI BSIII NBB & its Variant	ARAI, Certificate No- AALN 0018 E 01/08.08.2015 AAIN 0018 F 04/15.06.2015	Light Commercial Vehicle Passenger M3	Rs. 11,75,000/-

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रांड वर्थॉमिंग प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मांगे निदेशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- उपरोक्त मॉडलों एवं Variants के निबंधन के समय मोटरयान निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें निर्धारित मानक का Speed Govenor लगा हुआ है।
- संबंधित Models का विक्री मूल्य डीलर द्वारा संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे जिसे कार्यालय कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :

6375

पटना, दिनांक :

27/10/16

प्रतिलिपि- Authorised Signatory: For M/s- Mahindra & Mahindra Ltd. Alankar Business Center, East Boring Canal Road, Patna- 1 को सूचनाार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,


परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :

6375

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software के Master Box में प्रविष्ट करने/ I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।